न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2017 (जीसीएमएस संख्या : 2017/00006)
श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री छोटी लाल, जाति–रैगर, निवासी–शिवदासपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्त्ता,

बनाम

1. सूरजदेवी पत्नी श्री रामपाल धानका, जाति–धानका, निवासी–शिवदासपुरा, तहसील–चाकसू , जिला–जयपुर।
2. रामपाल धानका पुत्र श्री मांगीलाल धानका, जाति–धानका, निवासी– शिवदासपुरा, तहसील–चाकसू , जिला–जयपुर।
3. ग्राम पंचायत शिवदासपुरा, पंचायत समिति चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला जयपुर जरिये सचिव।

गैर–निगरानीकर्त्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत शिवदासपुरा दिनांक 05.03.2009 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 05.03.2009 को जारी किया गया पट्टा सं0 3 बहक सूरज देवी धाणका, निवासी–शिवदासपुरा को निरस्त करने बाबत्।)

उपस्थितिः–
1. श्री रामचन्द्र शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री आर.डी. चौधरी, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 की ओर से हाजिर आये परन्तु वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे।
3. गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा द्वारा मिसल संख्या 148 दायर दिनांक 20.10.2008 के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2009 को सूरज देवी धाणका पत्नी श्री रामपाल धाणका, निवासी–शिवदासपुरा के हक में 227 1/9 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्ता जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री रामचन्द्र शर्मा की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.03.2009 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा द्वारा जरिये मिसल संख्या–148 दायर दिनांक 20.10.2008 से दिनांक 05.03.2009 को जो निर्णय पारित किया गया है व इसके अनुसरण में दिनांक 05.03.2009 को जो पट्टा जारी किया गया है वह पूर्व से आवंटित पट्टेशुदा भूमि पर अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने की गरज से तथ्यों को छिपा कर प्राप्त किया गया है, जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त भू–खण्ड का चुनौती–अधीन पट्टा प्रार्थिया को नाजायज परेशान करने की गरज से आपसी मिलिभगत कर जारी करवाया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थिया द्वारा एक भूखंड संख्या 2 जिसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्गगज है और जिसके चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है सूरजपोल गेट गृह विकास सहाकारी समिति लिमिटेड, जयपुर से दुर्गावाटिका योजना में दिनांक 29.03.1997 को लिया था और प्रार्थिया तब से ही इस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। निगरानीकर्ता प्रार्थिया के भू–खण्ड के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 रामपाल का मकान है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2005 को जारी किया गया है। रामपाल के मकान के चरपेटा में नन्दलाल का मकान है जिसका पट्टा पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2006 को जारी किया गया है। रामपाल एवं नन्दलाल के पट्टों के नक्शों में उत्तर दिशा में मांगीलाल मीणा की खातेदारी भूमि दर्शित है। इन पट्टो में कोई 3 फीट की गली दर्शित नहीं है। इसके बावजूद भी पूर्व से पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सरपंच से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 जारी करवा लिया जिसमें 3 फीट गली दर्शित करवा ली तथा नाप भी गलत दर्शित करवा ली। भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.10.2005 जो कि रामपाल के नाम जारी किया गया था उसमें भू–खण्ड की नाप 27.3 X 58.7 व 17.3 X 28 फीट दी गई है तथा कुल क्षेत्रफल 231.03 वर्गगज है तथा उत्तर दिशा में मांगीलाल मीणा की खातेदारी की जमीन व दक्षिण दिशा में आम रास्ता 19 फीट दर्शित है। जबकि सूरजदेवी के नाम जारी विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 में भूखण्ड की नाप 28 X 73 फीट बतायी गई है तथा उत्तर में 3 फीट गली छोडकर छोटे लाल रैगर का प्लाट बताया गया है जबकि यह प्लाट छोटेलाल रैगर का ना होकर निगरानीकर्ता के नाम है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बिना मौका निरीक्षण किये गये ही उक्त विक्रय विलेख तैयार किया गया है। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 में पूर्व दिशा की ओर मात्र 3 फीट की गली दर्शित की गई है जबकि रामपाल को जारी विक्रय विलेख में 2.6

फीट व 4.6 फीट दर्शित है जो कि छोटेलाल को जारी विक्रय विलेख में उसके स्वयं की गली बतायी गई है तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता 19 फीट की जगह 25.9 फीट दर्शित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 बिना मौका निरीक्षण किये, सरपंच ग्राम पंचायत शिवदासपुरा से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 3 से जारी करवा लिया गया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 20.10.2005 को निरस्त किये बिना तथा बिना मौका निरीक्षण किये बिना कोरम के निरीक्षण रिपोर्ट अवैधानिक रूप से तैयार कर ली तथा बिना साक्षीयो के हस्ताक्षरो के विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 जारी किया गया है, उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक प्रक्रिया है। इस कारण अवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 05.03.2009 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत शिवदासपुरा की आज्ञा दिनांक 05.03.2009 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.03.2009 निरस्त फरमाया जावे।

गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दिनांक 13.09.2017 में जवाब दिया गया है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 05.03.2009 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित किये जाने से वैध है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय–संगत नहीं है। ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा द्वारा पंचायती राज अधिनियम/पंचायती राज नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सूरजदेवी पत्नी श्री रामपाल, निवासी–शिवदासपुरा के हक में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा की आज्ञा दिनांक 05.03.2009 पारित की गई है और इसी निर्णय के अनुसरण में पट्टा संख्या–03 दिनांक 05.03.2009 को जारी किया गया है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 व उसके भाई नन्दलाल के पक्ष में दिनांक 05.05.2006 व 20.10.2005 को जारी किये गये विक्रय विलेख कानूनन सही थे किन्तु गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 द्वारा अपना भू–खण्ड गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 के समक्ष नियमानुसार समर्पित करते हुए तथा अपनी स्वयं की सहमती प्रदान करते हुए गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के पक्ष में आवंटन पत्र जारी करवाया गया तथा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के पक्ष में आवंटन पत्र जारी करते समय गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 की भूमि में से ही 3 फीट की गली दर्शायी गई तथा उक्त 3 फीट की गली गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के भूखण्ड में से ही निकाली गई है ना कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड में से। निगरानीकर्ता स्वयं ने अपने भूखण्ड जिसकी लम्बाई 72 फीट थी उसमें कूटरचना करते हुए व सोसायटी से

मिलीभगत करते हुए अवैध तरीके से उक्त 3 फीट गली को कब्जा करने के दुराशय से उसका 75 फीट का फर्जी पट्टा व साईट प्लान बनवा लिया ताकि गैर–निगरानीकर्त्ता गण के उपयोग–उपभोग में आने वाली 3 फीट गली पर कब्जा करते हुए अवैध निर्माण कर सके, जिसके विरूद्ध एक एफआईआर निगरानीकर्ता के खिलाफ लम्बित है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा जारी किया गया उक्त विक्रय विलेख दिनांकित 05.03.2009 पूर्ण रूप वैधानिक है तथा नियमानुसार ही जारी किया गया है। तथा उक्त विक्रय विलेख गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 की भूमि के लिए जारी किया गया है ना कि निगरानीकर्ता की भूमि के लिए जारी किया गया है। जिसके कारण निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी प्रसतुत करने का कोई अधिकार नहीं है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के भूखण्ड का जो आवंटन पत्र वर्ष 2005 में जारी किया गया था। उसकी लम्बाई 76 फीट थी, किन्तु गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के भूखण्ड की लम्बाई 3 फीट कम करते हुए उक्त भूखण्ड के पीछे एक 3 फीट की गली नियमनुसार सार्वजनिक उपयोग–उपभोग के लिए छोडी गई तथा उक्त गली गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 की भूमि से निकाली गई है। जिसमें निगरानीकर्ता अथवा इसके पति छोटेलाल रैगर का कोई हक व अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा महज गैर–निगरानीकर्त्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की गई है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान् अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस निगरानीकर्त्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री रामचन्द्र शर्मा ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा रामपाल रैगर को दिनांक 20.10.2005 को जारी किया हुआ था। उसी भूखण्ड का ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा ने पुनः पट्टा जारी किया है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 द्वारा नियमानुसार स्वयं के मकान के आवंटन पत्र को ग्राम पंचायत–शिवदासपुरा के समक्ष सरेण्डर करके तथा अपनी स्वयं की सहमति प्रदान करके वादग्रस्त मकान का आवंटन पत्र गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 की पत्नी गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के नाम से जारी करने हेतु आवेदन किया था जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के नाम से आवंटन पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार यह निर्विवाद तथ्य है कि जिस भूखण्ड का पट्टा रामपाल धानका को जारी किया गया था उसी भूखण्ड का पट्टा गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 सूरजदेवी को जारी किया गया है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि पूर्व आवंटी रामपाल

धानका के द्वारा आवंटन पत्र समर्पण करने के पश्चात ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। ग्राम पंचायत स्वयं की आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने हेतु अधिकृत है परन्तु पत्रावली से दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत--शिवदासपुरा द्वारा रामपाल धानका की पट्टेशुदा भूमि का रामपाल धानका की पत्नी सूरजदेवी के नाम पुनः पट्टा जारी किया है जो अवैध है। पत्रावली में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट में केवल मात्र एक वार्ड पंच के हस्ताक्षर है तत्पश्चात् सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 05.11.2008 में किसी भी 3 पंचों को मौका देखने हेतु नामजद अधिकृत नहीं किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05.11.2008 में जिस पर केवल 1 वार्ड पंच के हस्ताक्षर है में प्रार्थी का 30–40 वर्षों का कब्जा बताया गया है। केवल एक पंच के ही हस्ताक्षर है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। रामपाल को जो पट्टा संख्या 11 जारी किया गया है उसमें पूर्व 2.6 फीट एवं 4.6 फीट की गली छोड कर छोटीलाल पुत्र पांचू रैगर का पुख्ता मकान दर्शाया गया है और उत्तर में मांगीलाल पुत्र घासीराम मीणा की खातेदारी भूमि दर्शायी गई है। जबकि सूरजदेवी को जारी किये गये पट्टे में पूर्व में 3 फीट गली को छोडकर छोटीलाल रैगर का पुख्ता मकान और उत्तर में 3 फीट गली छोड कर छोटेलाल रैगर का प्लाट दर्शित किया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक के कथन की पुष्टि होती है। अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.03.2009 और इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा संख्या 3 निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत शिवदासपुरा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि उक्त विवेचन के अनुसरण में उभयपक्षों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विधि–सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर